

बिहार सरकार
वित्त विभाग

का० आ० संख्या : 02/अरा०स्था-18-01/2024-204 वि०/दिनांक-17/06/2025

--::कार्यालय आदेश::--

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 में निहित शर्तों के अधीन विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग के नियमित स्थापना में कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित कार्यालय परिचारी कोटि-III को संवर्ग की प्रोन्नति के पदसोपान में कार्यालय परिचारी कोटि-II, वेतन स्तर-3 के उच्चतर पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र०	नाम	वर्तमान धारित पद	वर्तमान पदस्थापन/वरीयता क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्रीमती कान्ति देवी	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-2)	वित्त विभाग/ 33/2024
2.	मो० रेयाज	कार्यालय परिचारी कोटि-III (वेतन स्तर-2)	वित्त विभाग/ 34/2024

- कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ उक्त पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
- मौलिक नियमावली के नियम-22(I) ए(I) के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह के अन्दर उक्त कर्मियों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का चयन अनुमान्य होगा।
- नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद प्रभारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यद्यपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन-भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।
- कार्यकारी व्यवस्था दी यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(ऋषिकेश)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 02/अरा०स्था-18-01/2024 वि०/पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 02/अरा०स्था-18-01/2024 6709 वि०/पटना, दिनांक 17/06/2025

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त (लेखा)/अवर सचिव (लेखा) एवं प्रशाखा-02/सिस्टम एनालिस्ट (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/संबंधित सभी कर्मी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।